न्यूयॉर्क राज्य
महाधिवक्ता कार्यालय

एरिक टी. श्नाइडरमैन
महाधिवक्ता

न्यूयॉर्क राज्य शिक्षा विभाग
न्यूयॉर्क राज्य यूनिवर्सिटी

मेरीएलेन एलिया
शिक्षा आयुक्त
न्यूयॉर्क राज्य यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष

27 फरवरी, 2017

हाल ही में संघीय अधिकारियों द्वारा अप्रवास-संबंधित कार्रवाईयां भी की गई हैं जिससे पूरे देश में डर और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। न्यूयॉर्क राज्य के निवासियों की सेवा करने का वचन देने वाली हमारी एजेंसियों और न्यूयॉर्क राज्य बोर्ड के संरक्षकों ने हमारी एजेंसियों को इन कार्रवाइयों से उठे सवालों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अवगत करा दिया है। न्यूयॉर्क राज्य कार्यालय के महाधिकवक्ता (Office of the Attorney General, “OAG”) और न्यूयॉर्क शिक्षा विभाग (State Education Department, “SED”) ने आज न्यूयॉर्क राज्य के छात्रों, स्कूलों, परिवारों, और समुदायों को विश्वास दिलाते हुए लिखा कि हमारे स्कूल सुरक्षित स्थल रहेंगे जिसमें सभी छात्र पढ़ते हैं।

न्यूयॉर्क शिक्षा कानून के अनुसार, पांच वर्ष से अधिक और 21 (इक्कीस) वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्होंने हाईस्कूल डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया, वे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल में जाने के पात्र होंगे जिसमें वे बिना शिक्षण-शुल्क के निवास करते हैं। इसके अलावा, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र उपरोक्त पूर्णकालिक निर्देशों के अनुसार स्कूल की आवश्यक उम्र के अंतर्गत दाखिला लें।[1] **जिन बच्चों के पास यूएस की नागरिकता जैसे दस्तावेज़ नहीं है, उनके पास यह अधिकार है कि वे राज्य द्वारा स्थापित आयु एवं निवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुसार पूर्णकालिक रूप से तब तक स्कूल जा सकते हैं।** दरअसल, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले, प्लायलर वी.डो मामले में यह तय किया था किस्कूल डिस्ट्रिक्ट दस्तावेजों के न होने या गैर-नागिरकता की स्थिति के आधार पर या फिर उनके माता-पिता या अभिभावकों के आधार पर मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।[2]

तदनुसार, OAG/SED ने स्कूल डिस्ट्रिक्ट के दिशानिर्देश में गैर-दस्तावेजी छात्रों के इस महत्वपूर्ण अधिकार को रेखांकित किया है कि पंजीकरण के समय स्कूलों को आव्रजन स्थिति संबंधी सवाल नहीं पूछने चाहिए, इससे बच्चे की आव्रजन स्थिति सामने आ सकती है, जैसे सामाजिक सुरक्षा संख्या के लिए पूछा जा सकता है।[3] साथ ही हम सलाह देते हैं कि, जब स्कूल डिस्ट्रिक्ट को राज्य और/या संघी कानूनों के अनुसार कुछ

---

[1] शिक्षा देखें कानून §§ 3202(1), 3205.

[2] प्लायलर वी.डो, 457 यूएस. 202 (1982); *प्लाटा अपील देखें*, 40 शिक्षा। विभाग की रिपोर्ट 552, निर्णय सं. 14,555.

[3] *देखें, उदाहरणार्थ*, कोसिमो टैंगोरा, जूनियर, “*प्रिय सहकर्मी*” *पत्र*, न्यूयॉर्क शिक्षा विभाग (10 सितंबर, 2014), http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf।

दस्तावेज़ एकत्रित करने की आवश्यकता हो तो, उन्हें छात्रों के स्कूल में प्रवेश लेने के बाद ऐसा करना चाहिए, ताकि अनजाने में किसी को ऐसा न लगे कि आव्रजन स्थिति से संबंधित जानकारी का प्रयोग प्रवेश देने के लिए किया गया है।[4]

हाल ही में, हमारी एजेंसियों को कई सवालों का सामना करना पड़ा है, खासकर यूएस आव्रजन और सीमा प्रवर्तन (Immigration and Customs Enforcement, "ICE") के प्रतिनिधियों द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट के कार्यों से संबंधित संभावित पूछताछ के बारे में हो, इसमें मिलने के लिये अनुरोध करना या छात्रों के साथ साक्षात्कार, या छात्रों के दस्तावेज़ों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई कानून छात्रों से सवाल पूछने और छात्रों के दस्तावेजों की गोपनीयता के संबंध में स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर कई सारे विधिक दायित्व सौंपता है, इसमें न्यूयॉर्क फैमिली कोर्ट अधिनियम (New York Family Court Act, "NYFCA") और संघीय पारिवारिक अधिकार एवं गोपनीयता अधिनियम (Family Educational Rights and Privacy Act, "FERPA") शामिल हैं। इन दायित्वों का उल्लंघन करने पर, यहां तक कि संघीय आव्रजन अधिकारियों के अनुरोध को न मानने पर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को दंडित किया जा सकता है। इस कारण, हमारी एजेंसियां सभी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि संघीय आव्रजन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अनुरोध करने की स्थिति में वे तुरंत अपने अधीक्षक और स्कूल प्रतिनिधि से संपर्क करें। इस प्रकार के किसी भी अनुरोध का जवाब देने से पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों को अपने अधीक्षकों और प्रतिनिधि के साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिये कि इस प्रकार के अनुरोधों को मानना क्या स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा कानून की सामान्य व्यावहारिकता का उल्लंघन हो सकता है।

छात्रों से मिलने या साक्षात्कार का अनुरोध। **लंबे समय से SED के साथ यह स्थिति रही है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी छात्र को स्कूल परिसर से बाहर नहीं निकाल सकता या छात्र के माता-पिता या अभिभावकीय संबंधी व्यक्ति की सहमति के बिना पूछताछ नहीं कर सकता है, कई सीमित स्थितियों को छोड़कर** (जैसे, जब कानून प्रवर्तन अधिकारी के पास गिरफ्तारी का वैध वारंट न हो या फिर जब तक कि स्कूल परिसर में कोई अपराध न किया गया हो)।[5] स्कूल के अधिकारियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे कानून के दायरे में और स्थानीय स्कूल नीति के अनुसार कानून को लागू करने में उनका साथ दें।

---

[4] सामाजिक सुरक्षा की पहचान के लिए कुछ खास संदर्भों के साथ, SED को डिस्ट्रिक्ट से छात्रों के सामाजिक सुरक्षा कार्ड या नंबर को किसी भी उद्देश्य या किसी भी समय लेने की आवश्यकता नहीं, चाहे छात्र ने पहले प्रवेश लिया हो या फिर बाद में।

[5] *देखे, उदाहरणार्थ.,* N.Y.S.E.D. काउंसिल की राय 91 (17 जून, 1959) ("कोई भी अधिकारी स्कूल बिल्डिंग से छात्र को पूछताछ के लिए बच्चों के माता-पिता की अनुमति के बिना नहीं निकालेगा, हालांकि बच्चे की उपस्थिति उचित होनी चाहिए"); N.Y.S.E.D. भी देखें काउंसिल की राय 148 (23 फरवरी, 1965) ("स्कूल के पास खासतौर पर कानून प्रवर्तन अधिकारी को अनुमति देने के उद्देश्य के लिए छात्रों की अभिरक्षा देने या अन्य तृतीय पक्षों को छात्रों से पूछताछ करने या किसी भी उद्देश्य के लिए उन्हें स्कूल परिसर से बाहर निकालने का अधिकार नहीं है।") यह स्थिति विभिन्न कानूनों पर आधारित है, जिसमें इंटर आलिया, NYFCA शामिल है जिसके लिए आवश्यक है कि कानून का प्रवर्तन किए जाने की स्थिति में 16 वर्स से कम आयु के बच्चे को पुलिस अभिरक्षा में लेने पर पुलिस अधिकारी को बच्चे के पिता या बच्चे के अभिभावक से तत्काल संपर्क करने का उचित प्रयास करना चाहिए और इसमें यह भी उल्लेखित है कि ऐसे बच्चे से तब तक पूछताछ नहीं की जा सकती जब तक कि उसके माता-पिता या अभिभावक, यदि मौजूद हों, को बच्चे के अधिकारों के बारे में नहीं बता दिया जाता और उन्हें पूछताछ में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जाता। N.Y. देखें पारिवारिक कोर्ट § 305.2; जिम्मी डी मामला., 15 N.Y.3d 417 (2010)।

हम दृढ़ता से इस बात की सलाह देते हैं कि यदि ICE या अन्य संघीय आव्रजन अधिकारी को किसी छात्र (बातचीत और/या पूछताक्ष के लिए) के बारे में पता करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को अपने सभी कर्मचारी को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें छात्र तक पहुंचने की अनुमति देने से पहले तुरंत अपने अधीक्षक और स्कूल के प्रतिनिधि से सलाह लेने के लिये संपर्क करना चाहिए, खासकर शिक्षा कानून, प्लायलर और NYFCA के अंतर्गत अपने दायित्वों को लेकर।

छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने का अनुरोध। ठीक उसी तरह से, हमारी एजेसियां सलाह देती हैं कि आव्रजन अधिकारी की ओर छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगने का अनुरोध मिलने पर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को तत्काल अपने न्यायविद से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुरोध का पालन करने से FERPA का उल्लंघन हो सकता है।[6] FERPA सामान्य तौर पर संघीय निधि प्राप्त करने वाले स्कूल डिस्ट्रिक्ट को माता-पिता या योग्य छात्र की अनुमति के बिना छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड में दी गई व्यक्तिगत तौर पर पहचान योग्य जानकारी (Personally Identifiable Information, "PII") को देने प्रतिषेध करता है। FERPA ऐसे प्रकटन की केवल तभी अनमति देता है जब प्रकटन कानून लागू करने के विनियमों में दी गई कुछ सीमित स्थितियों को पूरा करते हो। इन सीमित स्थितियों में विशेष तौर पर संघीय सरकार के प्रगणित व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुरोध शामिल हैं।[7] **यद्यपि ICE या अन्य संघीय आव्रजन अधिकारियों की ओर से छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड से उसके PII को प्राप्त करने के अनुरोध को FERPA अपवाद का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सामान्य नियम यह हिअ कि ऐसी जानकारी के प्रकटन के लिए माता-पिता या योग्य छात्र से सहमति ली जानी चाहिए**।[8]

हाल के सप्ताहों में पूरे देश में उत्पीड़न की घटनाओं के संबंध में आई खबरों के मद्देनज़र P-12 शिक्षा नीति के SED कार्यालय ने भी आज स्कूल और डिस्ट्रिक्ट को सभी बच्चों की गरिमा से जुड़ा अधिनियम (Dignity for All Students Act, "DASA") के संबंध में मार्गदर्श जारी किया है। मार्गदर्शन यहां उपलब्ध होगा: http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/dasa-guidance.pdf।

ऐसे समय जब संघीय अधिकारियों द्वारा की गई आव्रजन से संबंधित कार्रवाइयों के कारण कई सवाल उठ रहे हों, तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी के रूप में, अपने स्कूल समुदायों को स्कूल में रहने के दौरान होने वाली प्रतिहिंसा के भर के बिना शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों के अधिकार और समाज के सभी वर्गों की गुणवत्ता के महत्व के बारे में याद दिलाते हैं। हमारी कक्षाएं सभी छात्रों के लिए सुरक्षित स्थल रहेंगे। हमारे छात्रों, परिवारों और समुदायों की सहायता करने के लिए आपने जो कार्य किया है, उसके लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं।

---

[6] 20 U.S.C. § 1232g देखें।

[7] 34 C.F.R. §99.31(a)(3) के अनुसार, 34 C.F.R. §99.35 के अधीन है, यूएस कंट्रोलर जनरल के प्राधिकृत प्रतिनिधि, अमेरिकी महाधिवक्ता, अमेरिका शिक्षा विभाग के सचिव, या राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारियों के लिए प्रकटन किया जा सकता है।

[8] 34 C.F.R. § 99.31. देखें

भवदीय,

मेरीएलेन एलिया
शिक्षा आयुक्त

एरिक टी. श्नाइडरमैन
महाधिवक्ता